



**राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 4(15)शिक्षा-1/अं.मा.काडर/2022

जयपुर, दिनांक: **02.11.2022**

**निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।**

विषय:— अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैंडर के 10,000 पदों को Contractual माध्यम से भरने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्र क्रमांक: शिविरा-मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन 66174/2022-23/78-80 दिनांक 28.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेख है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 27 (वर्ष 2022-23) के अनुसरण में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैंडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. पदों की संख्या एवं मानदेय

(अ) पदों की संख्या, जिन पर भर्ती की जानी है: 10,000 (दस हजार)।

(ब) मानदेय

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने पर मानदेय :- **RKalert.in**

क्र.सं.	पदनाम	विषय	पदों की संख्या	प्रति शिक्षक मानदेय (प्रति माह)
01	सहायक अध्यापक (लेवल-प्रथम)	—	7,140	16,900
02	सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय)	गणित	1,430	16,900
		अंग्रेजी	1,430	16,900
कुल			10,000	

(2) Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जायेगा :-

क्र. सं.	सेवा अवधि	संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम	मानदेय	विशेष विवरण
01	9 वर्ष	सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय/ प्रथम) ग्रेड-I	29,600/-	9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत की दर से प्राप्त मानदेय में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर अगले रु. 100/- में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जायेगा।

नोट :- आवश्यकतानुसार पदवार पदों की संख्या का निर्धारण विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक किया जा सकेगा, किन्तु Rajasthan Contractual Hiring

माते

to Civil Posts Rules, 2022 के तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी।

2. पदों का चिहनीकरण

पदों के चिहनीकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :-

- रूपान्तरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना।
- जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, वहां पदों का चिहनीकरण प्राथमिकता से किया जाए।
- भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार एवं विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिहनीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सकें। शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिह्नित किए जाए।

3. नियुक्ति की पदवार योग्यता एवं प्रक्रिया

महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के तहत भर्ती एवं सेवा सम्बन्धी शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण :-

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 की अनुसूची-II में "अध्यापक विंग" एवं पंचायती राज नियम-1996 में सम्मिलित पद, जो महात्मा गांधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-01 से 10 तक के संचालन हेतु संवर्गित हैं, के लिए शैक्षिक व प्रशैक्षिक अर्हताएं तथा पद के लिए नियुक्ति अधिकारी निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	पदनाम	शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता	नियुक्ति अधिकारी
01	सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित)	शैक्षिक अर्हता :- न्यूनतम 50% अंको सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक प्रशैक्षिक अर्हता :- Bachelor of Education (B.Ed.)/ Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल -द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जिशिअ (मु.) - माशि (संबंधित जिला)
02	सहायक अध्यापक (लेवल-प्रथम)	शैक्षिक अर्हता :- 50% अंको सहित उमावि/ समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण प्रशैक्षिक अर्हता :- Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल- प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।	जिशिअ (मु.) - माशि (संबंधित जिला)



- II. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाए। **RKalert.in**
- III. विभाग की आवश्यकतानुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाये गए कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

4. संविदा नियुक्ति का तरीका

- समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केन्द्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार-प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें सेवा शर्तों और पात्रता की शर्तों का स्पष्ट व पूर्ण उल्लेख किया जाएगा।
- आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जायेंगे।
- आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी।
- पात्र पाए गए आशार्थियों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर की जाएगी।
- समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के आशार्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।
- आयु भी समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है, उसे वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आशार्थी को वरीयता सूची में उससे नीचे रखा जाएगा।
- Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।
- संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।
 - पदस्थापन हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इस हेतु पात्र एवं चयनित आशार्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।
 - काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की **(केवल ग्रामीण क्षेत्र)** की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा।
 - प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा।
- संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना/परियोजना की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है, तो प्रति एक वर्ष पश्चात् कार्य समीक्षा उपरान्त सन्तोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।

माहित

- k. संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
- l. आयु व अन्य सामान्य व विशिष्ट सेवा शर्तें "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022" के प्रावधानानुसार होगी।
5. संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व

RKalert.in

उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत संविदा आधार पर नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों के पदीय दायित्व निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	पदीय दायित्व
01	सहायक अध्यापक (लेवल-प्रथम)	I. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-01 से 05 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। II. प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना।
02	सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय) (अंग्रेजी/गणित)	I. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा-06 से 08 तक अंग्रेजी/ गणित विषय का शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। II. प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करना।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102204511 दिनांक 27.10.2022 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

भवदीय,

मातेन्द्र
02.11.22
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
9. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।

10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
11. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
13. संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/शासन उप सचिव,
शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6)/प्रारम्भिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
14. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
15. उप निदेशक (एमजीजीएस सेल), निदेशालय, मा.शि.राज., बीकानेर।
16. रक्षित पत्रावली।

 02.11.22

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा